

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3441
उत्तर देने की तारीख 12.03.2026

हिंगोली, महाराष्ट्र में जनजातीय कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन

† 3441. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी दी गई है कि महाराष्ट्र के हिंगोली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के हिंगोली, नांदेड़ और यवतमाल कवर किए गए जिलों सहित जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, और छात्रवृत्ति योजनाओं, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं जैसी जनजातीय कल्याण योजनाओं का लाभ आम जनता तक प्रभावी ढंग से और समयबद्ध तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को वन अधिकार पट्टों के लंबित दावे, छात्रवृत्ति संवितरण में विलंब, आश्रम विद्यालयों और छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, दूर-दराज के जनजातीय गांवों में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता और डिजिटल और बैंकिंग सुविधाओं की कमी के कारण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भुगतान में कठिनाइयों जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और क्या हिंगोली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट कार्य-योजना प्रस्तावित की गई है; और

(घ) क्या सरकार उपरोक्त जिलों में जनजातीय विकास योजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक विशेष केन्द्रीय दल भेजने अथवा समयबद्ध समीक्षा तंत्र लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख) : जनजातीय कल्याण योजनाओं के लाभों के संबंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, छात्रवृत्ति योजनाओं, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं सहित प्रमुख मिशन नामतः पीएम जनमन और पीएम डीएजेजीयूए को महाराष्ट्र राज्य में जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और बुनियादी सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय विकास विभाग सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

हिंगोली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हिंगोली, नांदेड़ और यवतमाल जिले शामिल हैं। इन जिलों के लिए, हिंगोली जिले के लिए कलमनुरी परियोजना कार्यालय, नांदेड़ जिले के लिए किनवत परियोजना कार्यालय और यवतमाल जिले के लिए पांदरकवड़ा और पुसाद परियोजना कार्यालय कार्य करते हैं। ये परियोजना कार्यालय अपर जनजातीय आयुक्त, अमरावती के कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं।

इनमें से किनवत और पंधारकावड़ा टीएसपी (जनजातीय उप-योजना) परियोजनाएं हैं, जबकि कलमनुरी और पुसाद ओटीएसपी (जनजातीय उप-योजना के बाहर) परियोजनाएं हैं।

परियोजना-वार विवरण निम्नानुसार हैं।

परियोजना कार्यालय कलमनुरी जिला हिंगोली

ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार के 04 अप्रैल 2025 के सरकारी प्रस्ताव (प्रशासन संकल्प) के अनुसार, शबरी आदिवासी घरकुल योजना ग्रामीण को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण 2 में शामिल किया गया है। इसलिए, 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के लिए आवश्यक निधियां संबंधित प्रशासनिक विभाग के बजट में प्रावधान करके राज्य प्रबंधन प्रकोष्ठ ग्रामीण आवास को उपलब्ध कराई जाएगी।

दो जिले, परभणी और हिंगोली, परियोजना कार्यालय कलमनुरी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से हिंगोली जिले के कुल 10503 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जिला परिषद हिंगोली से कक्षा 1 से 10 तक के जनजातीय छात्रों को सुवर्ण महोत्सव (महोत्सवी) छात्रवृत्ति वितरित की गई है। इसके अलावा, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में, कुल 1177 जनजातीय छात्रों के लिए सरकार के आधार से जुड़े बैंक खातों में पीएफएमएस के माध्यम से छात्रवृत्ति के साथ सीधे जमा (क्रेडिट) किया गया है। हालांकि, जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण में कोई देरी नहीं हुई है।

इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत 05 सरकारी जनजातीय आश्रम स्कूल और जनजातीय लड़कों और लड़कियों के लिए 11 सरकारी छात्रावास हैं और इन सभी स्कूलों और छात्रावासों में किसी भी सुविधा की कमी नहीं है।

डिजिटल और बैंकिंग सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। सभी 05 सरकारी आश्रम स्कूलों ने हर महीने स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया है और पोषण के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

परियोजना कार्यालय किनवत जिला नांदेड़

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालय, किनवत, जो महाराष्ट्र की 11 संवेदनशील परियोजनाओं में से एक है, पूरे नांदेड़ जिले के लिए कार्य कर रहा है। यह कार्यालय केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर जनजातियों की व्यापक विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्राप्त करता है।

जनजातियों के सामूहिक और व्यक्तिगत विकास के लिए, कौशल विकास कार्यक्रम, केंद्रीय बजट, विशेष केंद्रीय सहायता योजना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 (1), पीटीजी, पारधी पैकेज, आदिम जनजातियों के लिए संरक्षण कार्यक्रम, आवास योजना, न्यूक्लियस बजट योजना, ठक्कर बप्पा आदिवासी बस्ती सुधार योजना आदि क्रियान्वित (लागू) की जा रही हैं।

जिला वार्षिक जनजातीय उप-योजना के तहत, किनवत और माहुर तालुका टीएसपी के अंतर्गत आते हैं और हिमायतनगर, हदगांव और भोकर माडा-मिनी माडा क्षेत्र में शामिल हैं जबकि अन्य तालुकों को ओटीएसपी क्षेत्रों के रूप में गिना जाता है। एटीएसपी क्षेत्र केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए है और अन्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत लाभ हेतु योजनाओं के अलावा जनजातियों की विकास योजनाओं के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां आवंटित की जाती हैं। इनमें बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना, जल संरक्षण, बिजली, ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला परिषद, सहकारिता, वन, मत्स्य पालन, बागवानी, पशुपालन, उद्योग, सिंचाई, लोक निर्माण, शिक्षा, खेल, तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास (डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना) स्वास्थ्य, जलापूर्ति, शहरी विकास शामिल हैं। ये विभाग अपने द्वारा प्राप्त निधियां से जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं को क्रियान्वित (लागू) करने के लिए कार्रवाई करते हैं। पिछड़े वर्गों की

कल्याणकारी योजनाओं के तहत योजनाओं को क्रियान्वित (लागू) करने के लिए परियोजना कार्यालय को निधियां संवितरित की जाती हैं।

इसके अलावा, परियोजना कार्यालय में जनजातीय छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए वर्ष 2024-25 से एक अलग शिक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। नांदेड़ जिले में 16 सरकारी आश्रम स्कूल, 23 सहायता प्राप्त आश्रम स्कूल, 15 सरकारी छात्रावास और एक एकलव्य आवासीय अंग्रेजी पब्लिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। आश्रम स्कूल और सरकारी छात्रावास भवन निर्माण, प्रतिष्ठित अंग्रेजी स्कूलों के जनजातीय छात्रों की शिक्षा, भारत सरकार की छात्रवृत्ति, स्वर्ण जयंती पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति, डीबीटी, गैर-छात्रावास छात्रों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना आदि क्रियान्वित (लागू) किए गए हैं, लाभ डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाओं में दिए जाते हैं। कुल मिलाकर, जनजातियों के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं को परियोजना कार्यालय के माध्यम से क्रियान्वित (लागू) किया जाता है।

परियोजना कार्यालय पुसाद जिला यवतमाल

परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना पुसाद जिला यवतमाल के अधिकार क्षेत्र में कुल 7 तालुका हैं और दो तालुका, उमरखेड एवं महागांव है, जो हिंगोली लोकसभा क्षेत्र में इस कार्यालय के अधीनस्थ हैं। सरकार ने आदर्श आश्रम स्कूल योजना के तहत छात्रों की सुविधा के लिए उमरखेड तालुका के सरकारी आश्रम स्कूल कोरटा में एक स्कूल भवन और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग आवास हेतु एक छात्रावास बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, महागांव के बोरीवन में बंद सरकारी आश्रम स्कूल को वर्ष 2025-26 में एक नए सरकारी अंग्रेजी माध्यम आश्रम स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। वर्तमान में, वडगांव शिंदे, तालुका में छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। वर्तमान में, वडगांव शिंदे तालुका पुसाद में छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं और वर्ष 2026-27 में इसे महागांव में शुरू करने के लिए प्रयास जारी हैं। उमरखीड तालुका में लड़कों और लड़कियों के लिए एक छात्रावास संचालित है और इस क्षेत्र के छात्रों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, उमरखीड और महागांव तालुकों के दूरदराज के क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। और पौष्टिक भोजन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उमरखीड और महागांव दोनों तालुकों के जनजातीय नागरिकों को डिजिटल और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके लिए, इस कार्यालय से निम्नलिखित सूचना जनता को उचित जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाती है।

परियोजना कार्यालय पांढरकवड़ा जिला यवतमाल

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालय पांढरकवड़ा जिला, यवतमाल के अधिकार क्षेत्र में कुल 9 तालुका हैं। इस परियोजना कार्यालय के तहत कुल 18 सरकारी आश्रम स्कूल और 19 सरकारी छात्रावास कार्य कर रहे हैं।

परियोजना कार्यालय पांढरकवड़ा के तहत 18 सरकारी आश्रम स्कूलों में 30/09/2025 तक छात्रों की संख्या 4078 है और 05/03/2026 तक नामांकित 4078 छात्रों में से कुल 3614 छात्रों की आरबीएसके टीम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच की गई है।

आदर्श आश्रम स्कूल योजना के तहत सरकारी आश्रम स्कूलों शिबला, जाम्ब, अंतरगांव, हिवारी, नंजा, कापड़ा और बोटोनी में नए स्कूल भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

सरकारी आश्रम स्कूलों हिवारी, जाम्ब और अंतरगांव में लड़कियों के लिए अलग आवास हेतु छात्रावासों के निर्माण के प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।

पीएचसी, एचडीएच, डीएच चिकित्सा दलों (मेडिकल टीमों) द्वारा छात्रों की नियमित चिकित्सा जांच की जा रही है। यह चिकित्सा दल के लिए सेटअप (व्यवस्था) है जो विशेष रूप से आश्रम स्कूलों हेतु प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक स्कूल

का दौरा करने के लिए सेटअप (व्यवस्था) है। प्रत्येक आश्रम विद्यालय में प्रत्येक छात्र के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं। चिकित्सकीय जाँच के दौरान अपवर्तित प्रभावों (रिफ्रेक्टिव इफेक्ट्स) की जाँच की जाती है। अब तक 72 छात्रों को चश्मा प्रदान किया गया है और 14 साल से कम उम्र की 2227 लड़कियों को रुबेला का टीका लगाया गया है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बोटोनी में विद्यालय भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास, भोजन कक्ष और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण प्रगति पर है। निर्माण कार्य जून 2026 तक पूरा हो जाएगा और स्कूल अगले शैक्षणिक वर्ष से शुरू हो जाएगा।

सरकारी आश्रम स्कूलों हिवारी और जाम्ब में विज्ञान केंद्र स्थापित करने के काम को अनुमोदन दिया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इस कार्यालय के तहत कुल 19 सरकारी छात्रावास चालू हैं, जिनमें से 10 लड़कों के लिए और 09 लड़कियों के लिए हैं। 5 छात्रावास जिला स्तर पर हैं और शेष 14 छात्रावास तालुका स्तर पर हैं। सरकारी भवन में 10 छात्रावास हैं और 09 छात्रावास किराए के निजी भवनों में हैं। 04 छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिला स्तरीय छात्रावासों में छात्रों को भोजन का डीबीटी प्रदान किया जाता है। तालुका स्तर के छात्रों के लिए निजी खाद्य ठेकेदारों द्वारा भोजन प्रदान किया जाता है।

सभी सरकारी आश्रम स्कूलों को छात्रों की गिनती के अनुसार सभी बुनियादी सुविधाएं अर्थात् पानी, स्वच्छता, शौचालय और बाथरूम (स्नान घर) प्रदान किए जाते हैं, शुद्ध पेयजल के लिए प्रत्येक स्कूल में 500 एलपीएच क्षमता की आरओ इकाइयाँ हैं।

आज तक वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 के तहत 443 सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) और 845 व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए सुवर्णा महोत्सव (महोत्सवी) छात्रवृत्ति छात्रों को वितरित की गई है। और व्यक्तिगत सभी योजनाएं भी।

(ग) और (घ): प्रमुख मिशन नामतः पीएम जनमन और पीएम डीएजेजीयू को महाराष्ट्र सरकार के जनजातीय विकास विभाग द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए और उसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिए क्रियान्वित (लागू) किया जा रहा है।

पीएम जनमन और पीएम डीएजेजीयू की वास्तविक प्रगति में नीचे दिए गए विवरण का उल्लेख किया गया है।

पीएम जनमन के लिए समय सीमा वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक है और पीएम डीएजेजीयू के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक है।

महाराष्ट्र राज्य में उपर्युक्त मिशन के लिए विभिन्न उपायों और उनकी प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है।

वास्तविक प्रगति-पीएम जनमन:

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	उपाय / गतिविधि	मिशन लक्ष्य (2023-2026)	प्रगति विवरण		टिप्पणी
				स्वीकृतियां	वास्तविक पूर्णता	
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकानों का प्रावधान	54,405 आवास	54,217 स्वीकृत आवास	18,334 मकान पूर्ण:	36,071 प्रगति पर
		संपर्क सड़कें	27 सड़क	50.14 कि.मी. स्वीकृत सड़कें	-	सभी 27 सड़क का कार्य प्रगति पर है।
2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाइयां	87 एमएमयू (2862 पीवीटीजी गांव)	87 एमएमयू को अनुमोदन	87 एमएमयू तैनात	2, 178 पीवीटीजी गांवों को लक्षित किया गया। अब तक 57,918 लोगों ने दौरा किया, 22,11,998 ओपीडी मरीजों ने भाग लिया
3	जल शक्ति मंत्रालय	पाइप से जलापूर्ति	2773 गाँव	2773 स्वीकृत गाँव	1, 567 गाँव संतृप्त (1,090-एचजीजे रिपोर्ट किए गए गाँव, 860-एचजीजे प्रमाणित गाँव)	1206 - गाँवों में कार्य प्रगति पर है।
4	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और संचालन	178 आंगनवाड़ी केंद्र	178 स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र	178 आंगनवाड़ी केंद्र क्रियाशील हो गए हैं 56 का निर्माण पूरा हो गया है	122 आंगनवाड़ी केंद्र प्रगति पर हैं
5	शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	25 छात्रावास	25 छात्रावास	सभी 25 छात्रावास में कार्य शुरू हो गया है	4 छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें से 1 का कार्य अंतिम चरण में है। 2 का कार्य मार्च, 2026 तक पूर्ण हो जाएगा और शेष 1 का कार्य अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण हो जाएगा।

6	विद्युत मंत्रालय	अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण	13, 413 आवास	13,413 आवास	13,413 आवास	1, 137 गांवों के लिए 100% संतृप्ति प्रमाणन।
7	संचार मंत्रालय	बीएसएनएल के माध्यम से मोबाइल टावरों की स्थापना	193 बस्तियों का कवरेज	164 टावरों की योजना बनाई गई	100 हैबिटेसन संतृप्ति (77 टावर ऑन एयर)	93 आवासों का कार्य प्रगति पर है (87 टावर ऑन एयर)
		सभी ऑपरेटरों के माध्यम से मोबाइल टावरों की स्थापना	462	430	334 बस्ती संतृप्त	128 बस्तियों का कार्य प्रगति पर है
8	जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र	121 एमपीसी	121 एमपीसी	101 एमपीसी पूर्ण,	शेष 20 एमपीसी कार्य प्रगति पर हैं।
		वीडीवीके की स्थापना	40 वीडवीके	40 वीडवीके	40 वीडवीके ने व्यवसाय शुरू किए	3624 लाभार्थी। 63.047 लाख बिक्री

वास्तविक प्रगति-पीएम डीए-जेजीयूए:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	पहल/योजना	प्रगति/वर्तमान स्थिति
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत पक्के घर	स्वीकृत किए गए 3,35,979 घरों में से 70,435 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है , 2,65,544 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
		प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - (पीएमजीएसवाई) के तहत जनजातीय बस्तियों/गांवों/पाड़ों की संपर्क सड़कें	पीएमजीएसवाई-IV के तहत 21 गांवों के लिए 116.75 किलोमीटर सड़कों का प्रस्ताव करने की योजना है।
2	जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस)	जल जीवन मिशन के तहत अनुसूचित जनजाति परिवारों को नल के पानी की आपूर्ति	4, 952 लक्षित गांवों में से 2,736 गांव संतृप्त हैं।
		जल जीवन मिशन के तहत अनुसूचित जनजाति समुदायों द्वारा बसे गांवों में सामान्य पाइप कनेक्शन के माध्यम से पानी की आपूर्ति	(1,736-एचजीजे रिपोर्ट किए गए गाँव, 1092-एचजीजे प्रमाणित गाँव।) 2216 - गाँवों में कार्य प्रगति पर है।

3	विद्युत मंत्रालय (एमओपी)	अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन गाँव में सार्वजनिक संस्थानों के लिए बिजली कनेक्शन, जैसे ग्राम पंचायत, स्कूल आदि।	6, 961 अनुसूचित जनजाति परिवारों को बिजली कनेक्शन की स्वीकृति। अब तक 5,228 अनुसूचित जनजाति परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
4	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी)	पोषण अभियान के तहत नई आंगनवाड़ी का निर्माण	802 आंगनवाड़ी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं।
5	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय (डीओएसईएल)	समग्र शिक्षा अभियान के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण	22 छात्रावासों को अनुमोदित किया गया है और सभी 22 छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 26/12/2025 को जारी कार्य आदेश।
6	आयुष मंत्रालय (एमओएवाईयुएसएच)	राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत ईएमआरएस स्कूलों में पोषण उद्यानों का विकास	ईएमआरएस विद्यालय परिसर में कुल 6 पोषण उद्यान अनुमोदित। (देओरी, अहेरी, सताना, इगतपुरी, कंबलगांव और शाहपुर)
7	दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग)	अजजा समुदायों द्वारा बसे गांवों में दूरसंचार संपर्क	लक्षित 954 गांवों में से 101 गांवों का सर्वेक्षण प्रगति पर है। मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए 853 गांव संतृप्त (सैचुरेटेड) हैं। (डीबीएन योजना के तहत 654 गांवों को मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की योजना बनाई गई है)
8	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई)	अनुसूचित जनजातियों के 30 जिलों में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना कौशल भारत अभियान के तहत वन धन विकास केंद्र से जुड़े अनुसूचित जनजाति के युवाओं और लाभार्थियों के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण	"जन शिक्षण संस्था" ने राज्य में उक्त उपाय के कार्यान्वयन के लिए नामित किया है। महाराष्ट्र में 3 कौशल विकास केंद्र अनुमोदित। 50-120 दिनों के प्रशिक्षण को क्रियान्वित (लागू) करना। (नंदुरबार, गढ़चिरोली और नासिक में) नासिक: लक्षित 900 - नामांकित-5771 नंदुरबार: लक्षित 900 - नामांकित -801 गढ़चिरोली: लक्षित 900-नामांकित-6601
9	पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन मंत्रालय)	स्वदेश दर्शन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए "ट्राइबल होम स्टे" योजना स्वदेश दर्शन योजना के तहत ग्राम स्तरीय सामुदायिक गतिविधियां	प्रस्तावों को माननीय अवर सचिव, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है और उक्त प्रस्तावों का मिशन निदेशालय की बैठक में मूल्यांकन किया जाएगा और आगे के अनुमोदन के लिए सिफारिश की जाएगी।

10	जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए)	जनजातीय विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (पीएमएएजीवाई) योजना के दायरे के विस्तार के अनुरूप नीचे सूचीबद्ध गतिविधियों को क्रियान्वित (लागू) करना।	
		i. जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों (टीएमएमसी) की स्थापना	एमओटीए के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार टीएमएमसी डिजाइन के लिए अद्यतन अनुमोदन प्रगति पर है। तदनुसार, 4 परियोजनाओं (यवतमाल, गोंदिया, गढ़चिरोली और नासिक) के लिए प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन को संशोधित किया जाएगा 2 परियोजनाओं (नासिक और धुले) के लिए स्थल की पहचान का कार्य प्रगति पर है।
		ii. जनजातीय आश्रम स्कूलों और छात्रावासों का सुदृढीकरण	कुल 160 कार्यों को अनुमोदन दिया गया है। 159 कार्य निविदा या नींव के चरण में हैं। 18 अतिरिक्त कक्षाएं, 23 शौचालय ब्लॉक, 4 प्रमुख मरम्मत कार्य (कुल 45 कार्य) 31 मार्च 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। 1 कार्य (सरकारी आश्रम स्कूल, विशनपुर, तालुका चोपड़ा (चोपरा), जिला जलगांव में लड़कों के छात्रावास का निर्माण) को निधि के पुनः विनियोजन के लिए 35 लाख से बढ़ाकर 350 लाख करने का प्रस्ताव है।
		iii. सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत सक्षमता केंद्र (सीओसी) की स्थापना और रोगियों को परामर्श एवं दवा का प्रावधान।	एम्स, नागपुर में अनुमोदित 1 सक्षमता केंद्र (सीओसी)। सभी उपकरणों की खरीद और स्थापना की गई है।
		iv. सीएफआर और एफआरए केंद्रों की स्थापना और प्रबंधन	26 जिलों में एफआरए केंद्र अनुमोदित। वन अधिकार पट्टों के दावों की स्थिति, जिला समितियों द्वारा अनुमोदित आईएफआर दावों की कुल संख्या - 201968 जिला समितियों द्वारा अनुमोदित सीएफआर दावों की कुल संख्या -8756